उत्तराखण्ड राज्य

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

नंदा गौरा योजना

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

Child Help Line no. 1098 / Women's Help Line no. 181 / website: www.wecd.uk.gov.in

WECD Uttarakhand   wecd_uttarakhand   WECD UTTARAKHAND

नन्दा गौरा योजना

❖ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर ''नन्दा गौरा योजना'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

❖ **योजना का मुख्य उद्देश्य**– कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करना, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना।

❖ योजना का लाभ उन परिवारों की प्रथम 02 बालिकाओं को जिनकी वार्षिक आय रू0 72000.00 से कम।

❖ योजनान्तर्गत कुल दो चरणों में धनराशि देय :

प्रथम चरण – बालिका के जन्म पर रू0 11,000/–

द्वितीय चरण – कक्षा 12 उर्त्तीण करने पर रू0 51,000/–

आवेदन हेतु अर्हतायें

❖ कन्या शिशु के माता–पिता उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी होने चाहियें।

❖ कन्या शिशु के परिवार की मासिक आय रु0 6000.00 तक होनी आवश्यक है।

❖ कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल/ए0एन0एम0 सेन्टर तथा ग्रामीण क्षेत्र जहां अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नही है पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा ही होना चाहिए।

❖ माता–पिता का पैन कार्ड अनिवार्य रुप से होना चाहिए।

❖ कन्या शिशु से पूर्व गर्भावस्था के दौरान उसकी माता का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकरण होना चाहिए।

❖ कन्या शिशु के जन्म का प्रमाण पत्र।

❖ सम्बन्धित क्षेत्र की आंगनवाडी कार्यकर्ती/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ती द्वारा जारी दो बालिकाओं के प्राविधान के अधीन लाभान्वित होने की अर्हता पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।

आवेदन करने की प्रक्रिया

- ❖ वित्तीय वर्ष 2023–24 में आवेदन करने हेतु जिन बालिकाओं के जन्म के बाद आवेदन करने की छः माह की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है ऐसे लाभार्थियों के अभिभावक ऑफ लाइन आवेदन 30 नवम्बर 2023 तक सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कर सकते है।
- ❖ जिन बालिकाओं के जन्म से छः माह के अन्दर आवेदन कराने की समयावधि पूर्ण नही हुई है (30 नवम्बर 2023 तक) ऐसे लाभार्थी के अभिभावक ऑन लाईन पोर्टल साईट – **www.nandagaurauk.in** पर आवेदन करेंगे।
- ❖ वर्ष 2023 में इण्टर पास बालिकायें 30 नवम्बर 2023 तक ऑन लाईन पोर्टल साईट – **www.nandagaurauk.in** पर आवेदन करेंगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया

लाभ दिये जाने की प्रक्रिया

❖ मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों का विवरण निर्धारित प्रारुप पर एक्सल शीट निदेशालय को उपलब्ध करवाया जायेगा। निदेशालय द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक अकाउन्ट में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि हस्तान्तरण का विवरण समस्त जनपदों को भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

नन्दा गौरा योजनान्तर्गत वर्षवार लाभन्वित किये गये लाभार्थीयों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	लाभान्वितों की संख्या					
		2017—18	2018—19	2019—20	2020—21	2021—22	2022—23
1	अल्मोडा	78	1935	6443	1396	3024	7753
2	बागेश्वर	2602	2991	2736	1112	663	2102
3	चमोली	361	1551	1961	2162	0	3789
4	चम्पावत	124	2513	2273	790	1233	2518
5	देहरादून	1093	4534	4835	882	4655	7177
6	हरिद्वार	67	737	3749	2662	886	10242
7	नैनीताल	2200	9660	7008	2432	1581	10654
8	पौडी	42	1750	1466	4276	1620	4869
9	पिथौरागढ	0	2259	3092	2028	0	4962
10	रूद्रप्रयाग	239	2411	798	1188	1457	2214
11	टिहरी	207	4200	2140	4852	5	9029
12	उधम सिंह नगर	1679	7304	3001	6895	352	13320
13	उत्तरकाशी	645	1539	4581	1535	193	3972
	योग	9337	43384	44083	32210	15669	82601

धन्यवाद